



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 640/2015

सेवन कुमार चंदेल, पिता रूपदास चंदेल, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम तिरियाभाठ, थाना- परपोड़ी,
जिला- बेमेतरा, छत्तीसगढ़

---अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना परपोदी के द्वारा, जिला-बेमेतरा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी/राज्य

अपीलार्थी हेतु :---श्री सिद्धार्थ पांडे, अधिवक्ता।

राज्य हेतु :---श्री अफरोज खान, पैनल अधिवक्ता।

माननीय श्रीमती रजनी दुबे , न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

07.08.2025

1. यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा, जिला- बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा सत्र विचारण सं 73/2014 में 31.03.2015 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें उक्त न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया तथा निम्नानुसार दंड पटारि किया गया :-----



दोषसिद्धि	दंड
भा.दं. सं. की धारा 450 के तहत	05 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2,000 रुपये का जुर्माना, जुर्माने का भुगतान न करने पर दो महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतान होगा ।
भा.दं. सं. की धारा 376 के तहत	10 वर्ष का कठोर कारावास तथा रु. 2, 000/- का जुर्माना, जुर्माने का भुगतान न करने पर, दो महीने हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतान होगा ।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत	10 वर्ष का कठोर कारावास तथा रु. 2, 000/- का जुर्माना, जुर्माने का भुगतान न करने पर, दो महीने हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतान होगा ।

(सभी दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया जाता है)

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण , जैसा कि आक्षेपित निर्णय और मामले के अभिलेख से ज्ञात होता है कि, यह है कि अभियोक्ता (पीडब्लू-3) के मामा द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध 29.07.2014 को प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई गई थी कि उसे उसकी बहन ने बताया था कि उसकी पुत्री/अभियोक्ता गर्भवती हो गई है और अभियोक्ता कि जांच करने पर उसने इस तथ्य का खुलासा किया कि पिछले एक वर्ष से अपीलकर्ता अक्सर उसके घर जाता था क्योंकि वह इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत था कि अभियोक्ता अकेली रहती है और उसने इसका फायदा उठाया और उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरन यौन संबंध बनाए।एक्स.पी/1 के अनुसार, अन्वेषण अधिकारी- सी.एल. उइके (पीडब्लू-10) द्वारा अपराध क्रमांक 56/2014 में धारा 376, 506 (बी) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4, 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई। अन्वेषण के दौरान,अन्वेषण अधिकारी (पीडब्लू-10) ने साक्षियों के अनुसार नजरी नक्शा एक्स.पी/13 तैयार किया। इसके बाद, परिवादी/पीड़िता की वजाइनल स्लाइड तैयार की गई थी।पीड़िता की माता और मामा की सहमति लेने के बाद, डॉ. कुंती ठाकुर (पीडब्लू-4) ने उसका चिकित्सा परिक्षण किया तथा अपनी रिपोर्ट एक्स पी/5 के माध्यम से दी। पटवारी ने नजरी नक्शा एक्स पी/7 के ज़रिए तैयार किया और पीड़िता की उम्र का पता लगाया। आर्टिकल ए-1 के अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र एक्स पी/3 के ज़रिए ज़ब्त किया गया, जिसे परिवादी ने प्रस्तुत किया गया था।अभियुक्त/अपीलकर्ता का भी चिकित्सा परिक्षण किया गया और रिपोर्ट एक्स पी/20 है।साक्षियों के बयान अभिलेखित किए गए और अपीलकर्ता को एक्स पी/14 के अनुसार गिरफ्तार किया गया, जब्त किए गए सामान को केमिकल जांच के लिए एफएसएल भेजा गया और एफएसएल रिपोर्ट एक्स पी/16 है। अभियोजन पक्ष ने उचित तथा आवश्यक अन्वेषण पूरी करने के बाद, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र पेश की, जिन्होंने मामले को विचारण के लिए भेज दिया।आरोप पत्र मेंनिहित सामग्री के आधार पर, विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध भा.दं. सं. कि धारा450, 506-II और 376 तथा यौन



अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 कि धारा 6 के तहत कथित अपराध करने के आरोप निर्धारित किए। अपीलकर्ताओं/अभियुक्त ने अपराध से इनकार किया तथा विचाराण कि मांग कि ।

3. अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 11 साक्षियों कि परीक्षा की गयी । अपीलकर्ता का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया गया है, जिसमें उसने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया और अपनी बेगुनाही का तर्क दिया है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। हालाँकि, दो साक्षी से उन्होंने अपने बचाव में परीक्षा की।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्त/अपीलकर्ता को इस निर्णय के प्रारंभिक कंडिका में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया तथा दंड पारित किया गया । अतः, यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

5. दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश की शुद्धता तथा वैधता पर प्रश्न उठाते हुए, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि यह आक्षेपित निर्णय विधि , तथ्यों और मामले के परिस्थितियों के विपरीत है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि अभियोक्त्री अभियुक्त द्वारा अभिकथित यौन संभोग के कारण गर्भवती हो गई है। एमएलसी रिपोर्ट में, जब रन यौन संबंध बनाने के कोई संकेत नहीं मिले और पीड़िता यौन संबंध बनाने की आदी पाई गई। विधि के मुताबिक पीड़िता की उम्र साबित नहीं हुई है और बर्थ सर्टिफिकेट एक्स पी/ /3 प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज होने से एक दिन पहले लिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि जिस जानकारी के आधार पर पीड़िता की जन्मतिथि अभिलेखित की गई थी, उसका स्रोत साबित नहीं हुआ है। अभिलेख पर ऐसा कोई और साक्ष्य नहीं है जो पीड़िता की जन्मतिथि साबित करता है तथा जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति अभियोजन पक्ष द्वारा इसके लेखक की जांच किए बिना प्रस्तुत की गई थी। जन्म प्रमाण पत्र की प्रति मूल की सही प्रति साबित नहीं हुई है, साथ ही अभियोक्त्री की माता पीडब्लू-2 ने भी पीड़ित की उम्र के बारे में कुछ नहीं बताया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि अभियोक्त्री ने कहा है कि उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, बल्कि उसके मामा पीडब्लू3 ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसने कभी भी इस घटना के बारे में उन्हें नहीं बताया था और अभियोक्त्री ने यह भी कहा कि कई लड़के उसके घर आते थे और उसने कभी भी उनके साथ यौन संबंधों बनाने से मना नहीं किया या आपत्ति नहीं जताई। इसलिए, अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हैं। इसलिए, आक्षेपित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

6. इसके विपरीत, उत्तरवादी/आक्षेपित निर्णय हेतु समर्थन करने वाले राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य की बारीकी से सराहना करने के पश्चात् अपीलार्थी को सही तरीके से दोषी ठहराया है तथा दंड पारित किया है। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। यह अपील बिना किसी सार के होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।



7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, जिसमें आक्षेपित निर्णय भी शामिल है, का अध्ययन किया गया।

8. विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उसने वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ भा.दं. सं. की धारा 450, 506-II, 376 तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत दंड वाले अपराधों के लिए आरोप तय किए और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की जांच के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भा.दं. सं. की धारा 450 और 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया तथा इस निर्णय के उद्घाटन कंडिका में दंड का उल्लेख किया गया है। अतः, यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

9. अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के समय अभियोक्त्री की आयु लगभग 17 वर्ष 4 माह है। अभियोजन पक्ष ने जन्म प्रमाण पत्र (अनुच्छेद-1) पर भरोसा किया।

10. सुखचंद पीडब्लू-3, जो पीड़िता के मामा हैं, ने बताया कि पुलिस ने उनकी भतीजी (पीड़िता) का जन्म प्रमाण पत्र आर्टिकल-1 के तौर पर ज़ब्त किया था और जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार, पीड़िता की जन्मतिथि 30.03.97 है, लेकिन उनके बयान के कंडिका 7 से यह स्पष्ट है कि पुलिस ने आर्टिकल-1 की सत्यापित प्रति ज़ब्त की थी तथा इस दस्तावेज को थाना प्रभारी-निरीक्षक - सी.एल. उइके (पीडब्लू-10) ने सत्यापित किया गया था।

11. पीडब्लू-10 इंस्पेक्टर सी. एल. उइके ने आर्टिकल-1 में ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि दस्तावेज की मूल प्रति सुखचंद उनके सामने लाए थे और उन्होंने उसी का मिलान किया तथा उक्त दस्तावेज को सत्यापित किया, उसके बाद दस्तावेज की मूल प्रति सुखचंद को वापस कर दी गई।

12. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विद्वत विचारण न्यायालय के सामने कोई मूल जन्म प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया था तथा केवल पीडब्लू-3 के बयान के आधार पर, लेख को उक्त दस्तावेज में चिह्नित किया गया था।

13. इस विवादक का सारांश यह है कि इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आर्टिकल-1, अभियोक्ता के जन्म प्रमाण पत्र का अवलोकन किया है और जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार अभियोक्ता की जन्मतिथि 30.03.1997 है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट है कि यह अभियोक्ता के जन्म के 17 वर्ष बाद 28.07.2014 को जारी किया गया है। उक्त सर्टिफिकेट जारी करने में लगभग 17 वर्ष का विलंब हुआ है। एफ. आई. आर. (एक्स पी//1) के अनुसार, एफ. आई. आर. दर्ज करने का दिनांक 29.07.2014 है और घटना दिनांक एक वर्ष पहले लिखी गई है। इस प्रकार, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-10 के बयानों से यह स्पष्ट है कि प्राथमिकी दर्ज करने से तुरंत पहले जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था।



4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मदन मोहन सिंह एवं अन्य बनाम रजनी कांत एवं अन्य 1 मामले के कंडिका 17, 18, 21 और 22 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:---

17. स्टेट ऑफ़ बिहार और अन्य बनाम राधा कृष्ण सिंह और अन्य, ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 684 में, इस न्यायालय ने इसी तरह की एक तर्क पर विचार किया तथा निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया: – "दस्तावेज़ की स्वीकार्यता एक बात है तथा इसका संभावित मूल्य बिल्कुल अलग है—इन दोनों पहलुओं को जोड़ा नहीं जा सकता है। कोई दस्तावेज़ स्वीकार्य हो सकता है, फिर भी उसमें कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है और उसका सत्यापनात्मक मूल्य शून्य हो सकता है। जहाँ कोई रिपोर्ट किसी ज़िम्मेदार अधिकारी द्वारा दी जाती है, जो साक्षियों और दस्तावेज़ों के साक्ष्य पर आधारित होती है और जिसमें "एक वैधानिक आभा होती है क्योंकि यह न केवल एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, बल्कि एक विधि के प्राधिकार के तहत दी जाती है, तो उसका सत्यापन मूल्य वास्तव में बहुत अधिक होगा, इसलिए उसे बहुत अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसे दस्तावेज़ों का प्रमाणिक मूल्य बहुत कम है, चाहे वे कितने भी प्राचीन क्यों न हों, अपनी जानकारी के स्रोतों का खुलासा नहीं करते या पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए हों।"

18. अतः, कोई दस्तावेज़ स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन उसमें निहित प्रविष्टि का कोई सत्यापनीय मूल्य है या नहीं, इसकी जांच किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त बताया गया विधिक दृष्टान्त इस न्यायालय के इन निर्णय से और ठोस होता है: राम प्रसाद शर्मा बनाम बिहार राज्य AIR 1970 SC 326; राम मूर्ति बनाम हरियाणा राज्य ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1029; दयाराम और अन्य बनाम दौलतशाह और अन्य ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 681; हरपाल सिंह और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 361; रविंदर सिंहगोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) 5 एस. सी. सी. 584; बबलू पासी बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2008) 13 एस. सी. सी. 133; देश राज बनाम बोध राज ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 632; और राम सुरेश सिंह बनाम प्रभात सिंह @ छोटू सिंह और अन्य (2009) 6 एस. सी. सी. 681। इन मामलों में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही संबंधित अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में आधिकारिक अभिलेख में प्रविष्टि की गई हो, फिर भी इसका महत्व हो सकता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति द्वारा इसकी पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है जिसकी सूचना पर प्रविष्टि की गई है और यह भी कि क्या की गई प्रविष्टि प्रदर्शित और सिद्ध की गई है। यहाँ अपेक्षित प्रमाण का मानक अन्य सिविल और आपराधिक मामलों के समान ही है।

21. किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए, उसके माता-पिता का साक्ष्य सर्वोत्तम है, यदि वह अप्रतिबन्धित दस्तावेज़ों द्वारा समर्थित है। यदि स्कूल रजिस्टर/प्रमाणपत्र में दर्शाई गई जन्मतिथि विश्वसनीय व्यक्तियों के अकाट्य साक्ष्य तथा नगर निगम, सरकारी अस्पताल/नर्सिंग होम आदि के जन्मतिथि रजिस्टर जैसे समसामयिक दस्तावेज़ों से झूठ साबित होती है, तो स्कूल रजिस्टर में दर्ज की गई प्रविष्टि को खारिज कर दिया जाना है। (देखें: बृज मोहन सिंह बनाम प्रिया ब्रत नारायण सिन्हा और अन्य ए. आई. आर. 1965 एस.



सी.282; बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित ए. आई. आर. 1988 एस. सी 1796; विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 1 एस. सी सीC 283; और सतपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य जे टी 2010 (7) एस. सी 500)।

22 .यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष जन्मतिथि पर भरोसा करना चाहता है और किसी दस्तावेज को सेवा में रखना चाहता है, तो उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(5) या धारा 50, 51, 59, 60 और 61 आदि विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति से उसमें उल्लिखित तिथि, समय आदि की प्रामाणिकता की जांच के अनुसार उसकी प्रामाणिकता साबित करनी होगी।(देखे--उपदेश कुमार तथा अन्य। बनाम पृथ्वी सिंह तथा अन्य। , (2001) 2 एस. सी. सी. 524; तथा पंजाब राज्य बनाम मोहिंदर सिंह, ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1868)।

15. इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि क्या विलंब से जारी जन्म प्रमाण पत्र को आपराधिक मामलों में पीड़ित की आयु निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है।

16. निस्संदेह, जन्म प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए एक मजबूत सबूत है और इस दस्तावेज की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन जन्म और मृत्यु के पंजीकरण और उससे जुड़े मामलों को विनियमित करने के लिए, संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 को अधिनियमित किया है। अध्याय-III- जन्म और मृत्यु पंजीकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाएं निर्धारित की गई थीं तथा यह धारा 13 जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित है। त्वरित संदर्भ के लिए, धारा 13 (3) को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“13. जन्म और मृत्यु का विलंबित पंजीकरण।---

(1) कोई भी जन्म या मृत्यु जिसकी जानकारी निर्धारित समय सीमा समाप्ति के पश्चात् , लेकिन घटना होने के तीस दिनों के अंदर रजिस्ट्रार को दी जाती है, उसे निर्धारित विलंब फीस का पेमेंट करने पर रजिस्टर किया जाएगा।

(2) XXXX

(3) कोई जन्म या मृत्यु, जो उसके घटित होने के एक वर्ष के भीतर पंजीकृत नहीं की गई है, केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा जन्म या मृत्यु की सत्यता की पुष्टि करने के पश्चात् तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान के पश्चात् दिए गए आदेश पर पंजीकृत की जाएगी।”

17. इस मामले में यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने अभियोक्ता के जन्म प्रमाण पत्र (अनुच्छेद-1) की केवल प्रमाणित प्रति ही विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जो साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है और यह भी स्पष्ट है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले, परिवादी द्वारा परिवाद के उद्देश्य के लिए इसे प्राप्त किया गया था।



18. अब अभियोक्ता की मां पीडब्लू-2 के साक्ष्य पर आते हैं, जिसने कहा है कि उसकी तीन लड़कियां हैं और उसे किसी की भी जन्मतिथि याद नहीं है, यहां तक कि उसे अपनी जन्मतिथि भी नहीं मालूम है।

19. अभियोक्ता की मां के बयान को देखते हुए, अभियोक्ता की आयु के संबंध में कोई सबूत नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई रेडियोलॉजिकल परीक्षण नहीं किया गया था, इसलिए अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने में विफल रहा है क्योंकि यह बताने के लिए कोई सुसंगत दस्तावेज नहीं थे कि अभियोक्ता घटना के समय वयस्क नहीं थी।

20. अभियोक्ता पीडब्लू-1 ने बताया कि वह आरोपी को काफी समय से जानती है और जब वह घर में अकेली रहती थी तो वह रोजाना उसके घर आता था और विवाहित जोड़े की तरह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, जब वह गर्भवती हो गई तो उसने अपनी मां को यह बात बताई और अपने मामा पीडब्लू-3 के साथ संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने आगे बताया कि वह अपीलकर्ता से एक लड़के की माँ है। प्रतिपरीक्षा में उसने यह तथ्य स्वीकार किया कि जब अपीलकर्ता उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तो उसने कभी उसका विरोध नहीं किया और उक्त घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। उसने यह भी स्वीकार किया कि जब वह गर्भवती हुई, तब सभी ग्रामीणों को उसके गर्भवती होने की जानकारी थी और जब उससे, इसके पीछे के व्यक्ति से पूछा गया, तो उसने आरोपी का नाम बताया। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके मामा ने उसे उसके द्वारा बताए गए अनुसार बयान देने के लिए कहा था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि यदि वह गर्भवती न होती, तो वह रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती है।

21. अभियोक्ता-4 डॉ. कुंती ठाकुर ने अभियोक्ता का परीक्षण किया और पाया कि उसके गर्भ में 28 से 30 सप्ताह का भ्रूण है और उसने प्र. पी/5 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा प्र. पी/5 के भाग 'ए' से 'ए' पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।

22. अ.सा.-10 सी.एल. उइके ने यह तथ्य स्वीकार किया कि उन्होंने अभियुक्त का डी.एन.ए. परीक्षण नहीं कराया था।

23. डी.डब्ल्यू.-1 नंदकुमार एवं डी.डब्ल्यू.-2 साधेलाल ने बताया कि गांव में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हमने अभियोक्ता से पूछा कि आपके गर्भवती होने के पीछे कौन व्यक्ति है, तो उसने बताया कि वह अभियुक्त सेवन चंदेल से गर्भवती नहीं हुई है, तथा अगले दिन रिपोर्ट दर्ज करा दी।

24. डीडब्ल्यू-3 मन्नूलाल ने यह भी कहा है कि अभियोक्ता ने ग्राम सभा में इस बात से इनकार किया कि वह अभियुक्त सेवन चंदेल से गर्भवती है।

25. इस प्रकार, साक्षियों के बयानों की बारीकी से जाँच करने पर, यह स्पष्ट है कि अभियोक्ता अपीलकर्ता के कृत्य में सहमति देने वाली पक्षकार थी, हालाँकि उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि यदि वह गर्भवती न होती, तो उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई होती। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि अभियोक्ता सहमति



देने वाली पक्षकार है, लेकिन अभियोक्ता की आयु को देखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया।

26. इस प्रकार, यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अभियोक्ता की आयु 18 वर्ष से कम साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गणेशन बनाम राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व उसके पुलिस निरीक्षक द्वारा किया जाता है, के मामले में कंडिका 10.3 में निम्नलिखित निर्णय दिया है: ---

10.3 "स्टर्लिंग विटनेस" किसे कहा जा सकता है, इस पर इस कोर्ट ने राय संदीप उर्फ दीपू बनाम स्टेट (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2012) 8 एस. सी. सी. 21 में विचार किया है। कंडिका 22 में, इसे निम्नानुसार देखा तथा अभिनिर्धारित किया गया है:

"22. हमारी सुविचारित राय में, "उत्कृष्ट गवाह" बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए, जिसका विवरण, इसलिए, अकाट्य होना चाहिए। ऐसे साक्षी के बयान पर विचार करते समय न्यायालय को बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे साक्षी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, साक्षी की स्थिति महत्वहीन होगी और जो सुसंगत होगा वह ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए बयान की सत्यता है। अधिक सुसंगत तथ्य यह होगा कि बयान की शुरुआत से लेकर अंत तक एकरूपता बनी रहे, अर्थात्, उस समय जब साक्षी प्रारंभिक बयान देता है और अंततः न्यायालय के समक्ष बयान देता है। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के रूप में अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे साक्षी के बयान में कोई झूठ नहीं होना चाहिए साक्षी को किसी भी अवधि की तथा चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, प्रतिपरीक्षा का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों के साथ-साथ उसके अनुक्रम के बारे में किसी भी संदेह हेतु जगह नहीं देनी चाहिए। इस कथन का अन्य सभी सहायक सामग्रियों, जैसे बरामदगी, प्रयुक्त हथियार, अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय, के साथ सह-संबंध होना चाहिए। उक्त कथन प्रत्येक अन्य गवाह के कथन से सुसंगत होना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू परीक्षण के समान होना चाहिए, जहां परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी ऐसी कड़ी नहीं होनी चाहिए जो अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध का दोषी ठहराया जा सके। केवल तभी जब ऐसे साक्षी का बयान उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ लागू किए जाने वाले सभी 12 अन्य समान परीक्षणों को भी उत्तीर्ण करता है, तब यह माना जा सकता है कि ऐसे साक्षी को "उत्कृष्ट साक्षी" कहा जा सकता है, जिसका बयान न्यायालय द्वारा बिना किसी पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो, अपराध के मूल स्पेक्ट्रम पर उक्त गवाह का कथन अक्षुण्ण रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं, भौतिक विवरणों



में उक्त कथन से मेल खानी चाहिए, ताकि अपराध की सुनवाई कर रही न्यायालय, कथित आरोप के लिए अपराधी को दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्रियों को छांटने हेतु मूल कथन पर भरोसा कर सके।”

28. ऊपर दिए गए निर्णय की रोशनी में, यह साफ है कि प्रॉसिक्यूट्रीक्स (□□-1) के बयान में कई बड़े विरोधाभास हैं। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह उत्कृष्ट साक्षी नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को लागू करते हुए, अभियोजन पक्ष के मुख्य परीक्षण में दिए गए एकमात्र बयान को उसके अंकित मूल्य पर सत्य नहीं माना जा सकता है, लेकिन विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि का निष्कर्ष दर्ज करते समय इस तथ्य की सराहना नहीं की। यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, जो कि विकृत हैं, विधि की दृष्टि में मान्य योग्य नहीं हैं।

29. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 31.03.2015 का दोषसिद्धि एवं दण्डादेश संबंधी आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 07.12.2017 के आदेश के अनुसार जमानत पर है, इसलिए उसकी रिहाई आदि के संबंध में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

30. धारा 437-ए सीआरपीसी (बी.एन.एस.एस. की धारा 481) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित फॉर्म संख्या 45 के अनुसार संबंधित न्यायालय के समक्ष 25,000/- रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बांड और उसी राशि की एक जमानत प्रस्तुत करें, जो छह माह की अवधि के लिए प्रभावी होगी, साथ ही एक वचनबद्धता भी कि वर्तमान निर्णय के खिलाफ या अनुमति प्रदान करने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्थिति में, उपरोक्त अपीलकर्ता इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

31. इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए।

सही/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

